(Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(1)-2/2023 dated 31-03-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF STATE TAXES & EXCISE

No. EXN-- F(1)-2/2023 Dated: Shimla-2 the 31-03-2023

NOTIFICATION

Whereas the draft amendments in Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), were issued by the Government vide Notification No. EXN-F(1)-2/2023 dated 18-03-2023 published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 18-03-2023 in pursuance of the provisions of Section 3 of the aforesaid Act for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby. But no objections/ suggestions have been received within stipulated period in this behalf.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to substitute SCHEDULE-I appended to the aforesaid Act w.e.f. 01-04-2023 as under:-

SCHEDULE –I

(See section 3 of Himachal Pradesh Tolls Act, 1975)

Sr. No	Particulars of vehicles.	Rate of toll per day or part thereof.	Rate of toll per quarter or part thereof.	Rate of toll per year or part thereof.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Heavy Goods Vehicles Vehicle having loading Capacity: (a) exceeding 250 quintals and above	Rs. 600	30 times the rate as specified in Column (3)	4 times the amount as specified in column (4)
	(b) exceeding 120 quintals upto 250 Quintals	Rs. 500	30 times the rate as specified in Column 3)	4 times the amount as specified in column (4)
	(c) exceeding 90 quintals upto 120 quintals	Rs. 250	-do-	-do-
	(d) from 20 quintals upto 90 quintals.	Rs. 140	-do-	-do-
2.	SMALL GOODS VEHICLES Loading capacity less than 20 quintals (not applicable on vehicles registered under MV Act in HP)	Rs. 100	-do-	-do-
3.	Passenger vehicles having seating capacity of: above 12 passengers	Rs. 140	-do-	-do-

4.	**PASSENGER VEHICLES (including private vehicle)** **(i) SEATING CAPACITY** **From 6 to 12 passengers (including driver)** **(not applicable on vehicles registered under MV Act in HP)**	**Rs. 80**	**-do-**	**-do-**
	(ii) Other light motor vehicles **Registered as Public carrier or Private vehicles** **SEATING CAPACITY** **Upto 5 passengers (including driver)** **(not applicable on vehicles registered under MV Act in HP)**	**Rs. 50**	**30 times the rate as specified in column (3)**	**70 times the rate as specified in column (3)**
	(iii) The owners of private registered vehicle residing within 5 kilometres radius of toll barrier(not applicable on vehicles registered under MV Act in HP)	**Rs. 50**	**Rs. 150/-**	**Rs. 340/-**
5.	**Tractors plying with public carrier or private carrier permit.** **(not applicable on vehicles registered under MV Act in HP)**	**Rs. 60**	**-do-**	**-do-**
6.	**Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw.** **(not applicable on vehicles registered under MV Act in HP)**	**Rs. 30**	**30 times the rate as specified in column (3)**	**70 times the rate as specified in column (3)**

By Order,

Sd/-

Principal Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. EXN- F(1)-2/2023 Dated: Shimla-171002 31.03. 2023

Copy to the following for information & necessary action:-

1 LR-cum-Secretary (Law) to the Government of H.P.
2 Commissioner of State Taxes & Excise, Kasumpti, Shimla-9.
3 Guard file.

(Harbans Singh Brascon)
Spl. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

TRU/GST)
T/B/TAU/A. Tax)
A/Dy. CST & E U/Legal)
Dy./Asstt. C
y. CST & E TPU/TAU)
Asstt. CST & E Helpdesk & CRU)
Supdt. Grade-1
PS/PA/Reader
Commissioner of State Tax & Excise,
Himachal Pradesh.
1-4-23

संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ (1)–2/2023 तारीख, शिमला–2 31 मार्च, 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) से संलग्न अनुसूची–1 में संशोधन हेतु प्रारूप को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0–एफ(1)–2/2023 दिनांक 18–03–2023 को, राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश तारीख 18–03–2023 में प्रकाशित किया गया था परन्तु नियम अवधि के भीतर इस बाबत कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची –। को 01–04–2023 से निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं –

अनुसूची–1

(हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 देखें)

क्रम संख्या	वाहनों की विशिष्टियां	प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर	प्रति तिमाही या उसके भाग के पथकर की दर	प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर
1	2	3	4	5
1	भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता (क) 250 क्विंटल से अधिक	600 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का तीस गुना ।	स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर का चार गुना ।
	(ख) 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल तक	500 रू0	यथोपरि	यथोपरि
	(ग) 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल तक	250 रू0	यथोपरि	यथोपरि
	(घ) 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक	140 रू0	यथोपरि	यथोपरि
2	छोटे माल–वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्विंटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	100 रू0	यथोपरि	यथोपरि
3	यात्री वाहन में बैठने की क्षमताः 12 यात्रियों से अधिक	140 रू0	यथोपरि	यथोपरि
4	यात्री–वाहन (निजी वाहन सहित)	80 रू0	यथोपरि	यथोपरि

	(i) बैठने की क्षमताः 6–12 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)			
	(ii) अन्य हल्के मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हों : बैठने की क्षमता : 5 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	50 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना ।	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 70 गुना ।
	(iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	50 रू0	150 रू0	340 रू0
5	सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	60 रू0	यथोपरि	यथोपरि
6	मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)	30 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना ।	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 70 गुना ।

आदेश द्वारा

sd/

प्रधान सचिव (राज्य कर एंव आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

पृष्ठांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–एफ(1)-2/2023 तारीखः शिमला–2 31.03.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1 सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2।
2 आयुक्त, राज्य कर एंव आबकारी हिमाचल प्रदेश, शिमला–9।
3 गार्ड नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2